



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2013/अग्रहायण 21, 1935

No. 598]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2013/AGRAHAYANA 21, 1935

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 774(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के दूरसंचार आयोग में सदस्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार आयोग (सदस्य) भर्ती नियम, 2013 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित मामले उपर्युक्त अनुसूचियों के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) तक विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शर्त.—जहां केन्द्र या सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबंद करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वग या वग के नियमों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर भाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र या सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पछड़े वर्गों और अन्य विशेष वग के नियमों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वग करण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भत किए जाने वाले नियमों के लिए आयु सीमा	सीधे भत किए जाने वाले नियमों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सदस्य (व)	1* 2013* कायभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।	जीसीएस समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	80000 (नियत)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भत किए जाने वाले नियमों के लिए वृद्ध आयु और शैक्षिक अहताएं निम्नतम नियमों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवर्तन की अवधि, यदि कोई हो	भत की पंक्ति; भत सीधे होगी या निम्नति द्वारा या तिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पंक्तियों द्वारा भर जाने वाली रिक्तियों की तिथितता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	तिनियुक्ति द्वारा (जसके अंतगत अपकालिक संविदा या आमेलन भी है)

निम्नति या तिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भत के मामले में वे श्रेणियां जनसे निम्नति या तिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि कोई विभागीय निम्नति समिति है तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भत करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
तिनियुक्ति (जसके अंतगत अपकालिक संविदा या आमेलन भी है) (क) व एवं लेखा सेवा के ऐसे संगठित समूह "क" अधिकार : (I)(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जन्होंने उच्चतर शासनिक ग्रेड वेतन अथात 67000-79000 रु0 + 3 तिथित वेतनवृद्धि या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात न्यूनतम दो वर्ष सेवा की है; और (II) केन्द्र या राज्य सरकार या केन्द्र या राज्य सरकार के संगठनों में वीथ योजना, कार्यक्रमण, बजटिंग, चालन, लेखा, रिपोर्टिंग या लेखा परण के क्षेत्रों में 20 वर्ष का कायसाधक अनुभव; या	आमेलित किए जाने वाले अधिकारियों की पुष्टि के लिए समूह "क" विभागीय निम्नति समिति की संरचना :— 1. मंडल सचिव —अध्यक्ष 2. धानमंत्री के धान सचिव —सदस्य 3. गृह सचिव —सदस्य 4. सचिव (कामिक), कामिक एवं शिथिल विभाग —सदस्य 5. सचिव, दूरसंचार विभाग —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(खख) केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या अध-सरकार (कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकार :

(I)(क) जो मूल काडर या वभाग म नियमित आधार पर स श पद धारण किए हुए हैं; या

(ख) जन्होंने उच्चतर शासनिक ग्रेड वेतन अथा त 67000-79000 0 + 3 तिशत वेतनवृ या समतुल्य म नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात न्यूनतम दो वष सेवा की हो ; और

(II) जनके पास निम्नलिखित शैिक अहताएं और अनुभव हैं :-

आवश्यक अहताएं :

(क) कसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से अथशास्त्र या वाणिज्य म मास्टर डिग्री(एम कॉम)/ यवसाय शासन म मास्टर डिग्री(एमबीए) या व म विशेषज्ञता सहित यवसाय शासन म मास्टर डिग्री

अथवा

(ख) इंस्टिट्यूशन ऑफ चाटड एकाउंटसी या इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एवं वक्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूआई) या इंस्टिट्यूट ऑफ चाटड फाइनेशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएफआई) के सदस्य

(II) केन्द्र या राज्य सरकार या केन्द्र या राज्य सरकार के संगठनों म वीय योजना, कार्यक्रमण, बजटिंग, चालन, लेखा, रिपोर्टिंग या लेखा परीक्षण के क्षेत्रों म 20 वष का कायसाधक अनुभव
टिप्पण 1 : केंद्र या राज्य या संघ राज्य सरकार के म कायरत अधिकार ह आमेहन किए जाने के लिए पा होंगे।

टिप्पण 2 : (तिनियुक्ति की अवधि (जसके अंतगत अपकालिक संविदा भी है।) जसके अंतगत केंद्र सरकार के उसी या कसी अन्य संगठन या वभाग म इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित कसी अन्य काडर बाह्य पद पर तिनियुक्ति की अवधि है (जसके अंतगत अपकालिक संविदा भी है), साधारणतया पांच वष से अधिक नहं होगी। तिनियुक्ति (जसके अंतगत अपकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन करने की अंतिम तारख को 56 वष से अधिक नहं होगी।

टिप्पण 3 : तिनियुक्ति या आमेहन के आधार पर नियुक्ति के योजन के लिए कसी अधिकार द्वारा 01.01.2006 से पहले या उस तारख से जससे छठे केंद्र वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरत वेतन संरचना का वस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरत वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी म वलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर वस्तारित होगा जसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बना कसी उन्नयन का साधारण तिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग के सिफारिशों पर आधारित वस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान म की गई सेवा समझी जाएगी।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2013

G.S.R. 774(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Members, Telecom Commission of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications & Information Technology, namely:-

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Telecom Commission (Members) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.— No person –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or Non-selection post	Age Limit for Direct Recruits	Educational and other qualification required for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Member. (Finance)	1* *(2013) Subject to variation dependent on workload	GCS Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	80000 (FIXED)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

<p style="text-align: center;">OR</p> <p>(B) Members of the Institution of Chartered Accountancy or Institute of Cost and Works Accountants of India (ICWAI) or Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI).</p> <p>(II) Working experience of 20 years in Central or State Government, or in Organizations of Central or State Government, in the areas of Financial Planning, Programming, Budgeting, Operations, Accounting, Reporting or Auditing</p> <p>NOTE: Officers working in Central or State or Union Territory Governments shall only be eligible for absorption.</p> <p>NOTE 2: Period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>NOTE 3: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

[F. No. 1-1/2010-Admn. I]

NIRMALA DEV, Under Secy.